

सेवा में,

श्री गुं हलीम साँ,  
अध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मिदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण 30 प्र०,  
इन्दौरा मण्डल, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं गुरुत्विम बरफ संशु-1

तस्मात्: दिनांक: 14 जनवरी, 1997

विषय:- प्रदेश में गठित अल्पसंख्यक कल्याण एवं गुरुत्विम बरफ विभाग के कार्य  
संचालन हेतु मिदेशालय स्तर पर माबीटिडिंग श्रेण की स्थापना ।

---0---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 904/52-1-96-11461/95

दिनांक 30 मई, 1996 के संवेम में गुने यह कहते का मिदेश हुआ है कि उक्त  
शासनादेश द्वारा कम्प्यूटर अपरेटर का एक बंद 1400-2600 के पैतलमता  
में दिनांक 28.12.97 तक के लिए सुचित किया गया था जिसकी अर्हता विभा-  
गुसार निर्धारित की गयी थी -

\*मीतिक विज्ञान तथा गणि विभागों के साथ स्नातक उपाधि/  
कम्प्यूटर प्रणाली चालू करने का ज्ञान तथा इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा

2- उपर्युक्त कम्प्यूटर अपरेटर बंद की अर्हता शासन द्वारा अब  
निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

111 स्नातक उपाधि

121 मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम  
6 माह का डिप्लोमा, तथा

131 कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का एक बंद का अनुभव ।

3- अतः उपर्युक्त कम्प्यूटर अपरेटर की प्रस्तर-1 में निर्धारित अर्हता  
प्रस्तर-2 के अनुसार होंगी। तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 30 मई, 96  
को इस सीमा तक सुशोचिता समझा जाय ।

कृपया अतानुसार कार्रवाही सुनिश्चित करते का कष्ट करें ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11/4033/दस-96

श्री उमेल

msw  
25.1.97

3961/mw 807  
31.1.97

: 2 :

दिनांक 31 दिसम्बर, 96 में प्राप्त उनकी पत्राचार से जारी किये जा रहे

हैं।

राष्ट्रीय,

गुणवत्ता एवं  
सहित।

संख्या 1298/11/52-1-26-11461/95 टी.सी.

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

दिनांक :-

- 1- महासेनाकार, 30 प्रो इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोष्ठागार, 30 प्रो लखनऊ।
- 3- कोष्ठाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त एवं नियंत्रण अनु-1।
- 5- राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।
- 6- वित्त विभाग आयोजन अनु-2।

अर्थात् से,

सरकार आत्म  
सहित।